संख्या-18/2017/1271/35-3-2017-1(24)/2016

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त,2017**

विषय: वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-श्रावस्ती में शासनादेश संख्या-86/2016/1910/35-3-2016-1(24)/2016 दिनांक: 08 सितम्बर, 2016 के द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण की क्रमांक-1 पर अंकित परियोजनाहेतु रू. 57.04 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप मे रू. 34.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 22.82 लाख (रू.बाइस लाख बयासी हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख मे)

विकास खण्ड	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि**	**द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि**
कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग				
जमुनहां	बीरगंज बाजार पटना से ऐठा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण ल0 1.159 किमी.	57.04	34.22	22.82
योग		**57.04**	**34.22**	**22.82**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 08 सितम्बर,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक'-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बॉडर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सडक निर्माण कार्य-03-सडकों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(**राम नरायन सिंह यादव**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-18/2017/1271(1)/35-3-2017-1(24)/2016तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन 1
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक,राज्य योजना आयोग/भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटनमण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**राम नरायन सिंह यादव**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in